उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 07/2004–05

गुडवा टुडू ..... अपीलकर्ता

बनाम

देवनारायण मड़ैया एवं अन्य..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

24/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 07/2004–05 गुडवा टुडू बनाम् देवनारायण मड़ैया एवं अन्य मौजा पुराना डुमरिया, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0– 269/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2004 के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस पर दिनांक 12.01.2005 के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अबतक अप्राप्त है। किन्तु मामला काफी दिनों से लंबित चला आ रहा है। फलतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मैंन उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को मौजा पुराना डुमरिया के दाग सं0 80 एवं 108 जो परती कदीम है, में मौजा के प्रधान द्वारा क्रमशः 0.33 डीसमल एवं 15 डीसमल जमींन की बन्दोबस्ती पट्टा द्वारा दिया गया है। उक्त जमींन को उनके द्वारा खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है तथा लगान का भुगतान किया जा रहा है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त बन्दोस्ती प्राप्त जमींन का सीमांकन हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कोर्ट अमींन द्वारा भी सीमांकन रैयतों के समक्ष कर दिया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा गलत आपत्ति किये जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा इनके आवेदन को खारीज किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कहा है कि प्रधान से मिली जमींन का वर्त्तमान सर्वे में खाता भी खुला है और सीमांकन भी हो चुका है। सिर्फ 09 डीसमल जमींन पर सीमांकन नहीं हुआ है। अतः सिर्फ इस 09 डीसमल जमींन पर खाता खोल दिया जाय।

उत्तरकारी का कहना है कि बन्दोबस्ती वर्ष 1970 का है। 32 वर्षो के बाद सम्पुष्टि के लिये आवेदन दिया गया है। उनका जमींन आस–पास है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया सीमांकन गलत है।

अपीलकर्त्ता ने प्रधान द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पट्टा एवं वर्ष 1999 तक का लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है। इसके अलावे वर्त्तमान सर्वे द्वारा निर्गत खतियान की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। उत्तरकारी की ओर से अपने दावों के समर्थन

में कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा मौखिक दावा किया जा रहा है।

मौजा के प्रधान द्वारा भी न्यायालय में वकालतन उपस्थित होकर तथा आवेदन दाखिल कर कहा है कि मौजा पुराना डुमरिया के दाग सं0 108 में 15 डीसमल एवं दाग सं0 80 में 33 डीसमल कुल 48 डीमसल जमींन अपीलकर्त्ता को बन्दोबस्ती पट्टा दिनांक 30.08.1970 को दिया गया है एवं उक्त जमींन अपीलकर्त्ता के दखल में है। उन्हें पट्टा की सम्पुष्टि में कोई आपत्ति नहीं है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कोर्ट अमींन के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोर्ट अमींन द्वारा बन्दोबस्ती प्राप्त जमींन का सीमांकन मौजा के रैयतों के समक्ष अपीलकर्त्ता के साथ कर दिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन में अपीलकर्त्ता को प्रधान द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा मिला है एवं उनके द्वारा उक्त जमींन को खंडित कर जोत–आबाद किया जा रहा है तथा लगान का भी भुगतान किया जा रहा है। मौजा के प्रधान को भी इसपर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। वर्त्तमान सर्वे में अपीलकर्त्ता के नाम से खाता खुल गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।